फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 02/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/2) **श्री चतुरभुज गाडरी बनाम श्री रतनलाल गाडरी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.04.2023	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री पी.सी.पालीवाल - वकील अपीलार्थी 2. श्री दीपक शर्मा - वकील प्रत्यर्थी-3 से 6 3. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय पेरोकार - वकील प्रत्यर्थी-8 **अनवान** **1. श्री चतुरभुज पिता स्व.श्री रामा गाडरी, निवासी सतखण्डा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़** **अपीलार्थी** **1. श्री रतनलाल पिता स्व.श्री रामा गाडरी, निवासी सतखण्डा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़** **2. श्री हजारी पिता स्व.श्री रामा गाडरी, निवासी सतखण्डा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़** **3. श्रीमती नर्मदा पिता स्व.श्री रामा गाडरी पत्नि श्री दलीचन्द, निवासी धटियावली, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़** **4. श्रीमती शांतिबाई पिता स्व.श्री रामा गाडरी पत्नि श्री कंवरलाल गाडरी, निवासी बडोलाघाटी, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़** **5. श्रीमती धापूबाई पिता स्व.श्री रामा गाडरी पत्नि श्री किशनलाल गाडरी, निवासी ऊंखलिया, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़** **6. श्रीमती श्यामाबाई पिता स्व.श्री रामा गाडरी पत्नि श्री चुन्नीलाल गाडरी, निवासी जालमपुरा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़** **7. श्रीमती प्रेमबाई पिता स्व.श्री रामा गाडरी पत्नि श्री भेरूलाल गाडरी, निवासी ऊंखलिया, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़** **8. तहसीलदार, निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़** **9. उप पंजीयक, निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़** **प्रत्यर्थी** **अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार, निम्बाहेडा, बप्रकरण संख्या 39/2021 निर्णय दिनांक 28.02.2022 (अनवान रतनलाल गायरी बनाम सरकार)** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 06.04.2023 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय तहसीलदार, निम्बाहेडा, बप्रकरण संख्या 39/2021 निर्णय दिनांक 28.02.2022 (अनवान रतनलाल गायरी बनाम सरकार) के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- • अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, निम्बाहेडा समक्ष श्री रतनलाल गायरी (प्रत्यर्थी-1) द्वारा उसके पिता श्री रामा पुत्र श्री घासी जी गायरी की स्वअर्जित की गई भूमि की रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 30.01.2013, जो उसके व उसके भाई हजारीलाल के नाम निष्पादित की गई, के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। • तहसीलदार, निम्बाहेडा द्वारा उक्त आवेदन पर प्रकरण अन्तर्गत धारा-135(2) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का दर्ज कर निर्णय दिनांक 28.02.2022 से आवेदन स्वीकार कर श्री रामा जी का विरासत का नामान्तरकरण वसीयत के आधार पर श्री रतनलाल एवं हजारीलाल पिता रामा जी गायरी के नाम दर्ज करने का आदेश प्रसारित किया। उक्त आदेश दिनांक 28.02.2022 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा समक्ष उक्त अपील प्रस्तुत की। उक्त अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 मयाद अधिनियम, प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 मय दस्तावेज प्रस्तुत किये जिन पर निर्णय आरक्षित रखते हुए प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 02/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/2) **श्री चतुरभुज गाडरी बनाम श्री रतनलाल गाडरी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दिनांक 31.03.2023 को अधिवक्ता अपीलार्थी, अधिवक्ता प्रत्यर्थी-3 से 6 व राजकीय पेरोकार उपस्थित, जिनकी बहस सुनी गई। अन्य बावजुद सुचना अनुपस्थित। **विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है** कि श्री रामाजी के तीन पुत्र श्री चतुरभुज, रतनलाल व हजारीलाल है और 6 पुत्रियां नर्बदाबाई, शांतिबाई, धापूबाई, प्रेमाबाई, श्यमाबाई, बाबरी है। श्री रामा जी की पत्नि श्री मुलीबाई व उनकी पुत्री श्री बाबरी का निधन श्री रामा के जीवनकाल में ही हो चुका था। अधीनस्थ न्यायालय समक्ष श्री रतनलाल ने वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार को जांच करने एवं नामान्तरकरण की कार्यवाही हेतु संबंधित ग्राम पंचायत को भेजना था। ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित समयावधि में नामान्तरकरण निर्णित नहीं किये जाने पर तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण की कार्यवाही की जानी थी। मृतक रामा का नामान्तरकरण की कार्यवाही में खातेदार रामा के सभी उत्तराधिकारियों को व्यक्तिगत नोटिस देकर उनको सुनवाई व अपना पक्ष रखने का अवसर देना चाहिए था जो नहीं किया गया। कानून के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा की गई अंतिम वसीयत से उसकी मृत्यु के बाद वसीयतनामें में वर्णित व्यक्ति को कानूनन अधिकार प्राप्त होता है। प्रस्तुत प्रकरण में मृतक रामा की अंतिम वसीयत दिनांक 22.08.2019 के आधार पर नामान्तरकरण अपीलांट के नाम खोलने का आदेश प्रदान करना आवश्यक था। मृतक रामा जी अनपढ़ व्यक्ति थे, वह लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, दिनांक 30.01.2013 का वसीयतनामा संदेहास्पद है। वसीयत दिनांक 30.01.2013 को साक्ष्य अधिनियम के तहत साबित कराया जाना आवश्यक है, जो नहीं किया गया। कानून के अनुसार किसी व्यक्ति की अंतिम वसीयत के आधार पर उसकी सम्पत्ति अंतरित होती है। मृतक रामाजी द्वारा अपने जीवनकाल में अंतिम वसीयत दिनांक 22.08.2019 को स्वतंत्र गवाह एवं उनके अन्य उत्तराधिकारियों की उपस्थिति में निष्पादित की, उसके आधार पर उनकी भूमि का नामान्तकरण अपीलान्ट के नाम खोला जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी को पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि वह हितबद्ध पक्षकार है, ऐसे में अपील के साथ प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी प्रस्तुत किया। अपीलाधीन आदेश से पूर्व अपीलार्थी को नोटिस जारी नहीं किया गया व उसके परोक्ष निर्णय पारित होने से उसे निर्णय की ससमय जानकारी नहीं हो सकी और जानकारी होते ही अपील मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम के पेश की गई। उल्लेखनीय है कि तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा मृतक रामाजी के नामान्तरकरण की कार्यवाही में अपीलार्थी को कोई अवसर नहीं दिया गया, जिससे अपीलार्थी को तहसीलदार समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। मृतक खातेदार श्री रामाजी द्वारा दिनांक 22.08.2019 को स्वतंत्र गवाह एवं परिवार के अन्य व्यक्तियों के समक्ष वसीयतनामा अपीलार्थी के हक में निष्पादित किया है जिसका कानूनन पंजीयन भी हो चुका है। गवाहान के शपथ पत्र भी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 के साथ पेश किया है। मृतक रामाजी द्वारा अपने जीवनकाल में अंतिम वसीयत दिनांक 22.08.2019 को स्वतंत्र गवाह एवं उनके अन्य उत्तराधिकारियों की उपस्थिति में निष्पादित की, उसके आधार पर उनकी भूमि का नामान्तकरण अपीलान्ट के नाम खोला जाना आवश्यक है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावें और मृतक रामा गाडरी के बजाय अंतिम वसीयतनामा दिनांक 22.08.2019 के आधार पर नामान्तरकरण खोले जाने का आदेश प्रदान कराया जावें। **प्रत्यर्थी-3 से 6 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस का समर्थन करते हुए मृतक रामाजी द्वारा अपने जीवनकाल में निष्पादित की गई अंतिम वसीयत दिनांक 22.08.2019 के आधार पर श्री चतुरभुज गाडरी के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत कर अपील स्वीकार किये जाने पर अपनी अनापत्ति जाहिर की।** राजकीय पेरोकार द्वारा प्रकरण को पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 02/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/2) **श्री चतुरभुज गाडरी बनाम श्री रतनलाल गाडरी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

गुणावगुण निस्तारित किये जाने का अनुरोध किया।

हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.02.2022 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 27.12.2022 को अपील मयाद बाहर प्रस्तुत की गई। सवप्रर्थम मयाद के बिन्दु को विनिश्चित किया जाना उचित समझते हुए मयाद अधिनियम कें प्रार्थना पत्र में अंकित कारणों पर मनन किया गया। अपीलार्थी द्वारा आक्षेपित निर्णय परोक्ष रूप से पारित किये जाने का प्रमुख कारण अंकित किया जिससे न्यायहित में प्रस्तुत अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती है। अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी का भी संलग्न कर अपीलाधीन निर्णय से उसके हक व अधिकार प्रभावित होने का कथन किया, जो प्रथम दृष्टया प्रमाणित होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी स्वीकार करते हुए अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जाती है। दौराने अपीलीय कार्यवाही एवं अपील के साथ, अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 मय दस्तावेज (पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 22.08.2019, गवाहान के शपथ पत्र इत्यादि) प्रस्तुत किये है जो अपील के निर्णय में सहायक होने से प्रस्तुत दस्तावेजों का अभिलेख पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से प्रकट होता है कि श्री रतनलाल गायरी (प्रत्यर्थी-1) द्वारा उसके पिता श्री रामा पुत्र श्री घासी जी गायरी की स्वअर्जित की गई भूमि की रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 30.01.2013, जो उसके व उसके भाई हजारीलाल के नाम निष्पादित की गई, के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर तहसीलदार, निम्बाहेडा द्वारा उक्त आवेदन स्वीकार कर श्री रामा जी का विरासत का नामान्तरकरण वसीयत के आधार पर श्री रतनलाल एवं हजारीलाल पिता रामा जी गायरी के नाम दर्ज करने का निर्णय दिनांक 28.02.2022 पारित किया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई।

पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं प्रस्तुत वसीयतनामा इत्यादि से प्रकट होता है कि श्री रामा पिता घासा गाडरी द्वारा अपने जीवनकाल में प्रथम वसीयत दिनांक 30.01.2013 को निष्पादित की गई, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण पारित करने का अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। श्री रामा पिता घासा गाडरी द्वारा अपने जीवनकाल में द्वितीय एवं अंतिम वसीयत अपीलार्थी के पक्ष में दिनांक 22.08.2019 को निष्पादित की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि तहसीलदार द्वारा श्री रामा गाडरी के सभी वारिसान पर नोटिस तामिली की कार्यवाही नहीं की गई, जिससे उक्त अंतिम वसीयत अभिलेख पर नहीं आ सकी। उक्त वसीयत दिनांक 22.08.2019 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि श्री रामा गाडरी द्वारा पूर्व में निष्पादित वसीयत दिनांक 30.01.2013 को अंतिम वसीयत द्वारा शुन्य घोषित किया गया। वसीयतनामा से यह प्रकट होता है कि वादग्रस्त भूमियां श्री रामा गाडरी की स्वअर्जित भूमि है, जिसकी प्रावधानोनुसार वसीयत की जा सकती है। उक्त अंतिम वसीयत श्री रामा गाडरी के देहावसान दिनांक 28.02.2020 उपरान्त वसीयतग्रहिता अपीलार्थीगण द्वारा उप पंजीयक, चित्तौड़गढ़ समक्ष पंजीकृत कराई गई जो रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 की धारा-40(1) के तहत अनुमत है। दौराने अपीलीय कार्यवाही, अपीलार्थी द्वारा अंतिम वसीयत के गवाहान श्री चुन्नीलाल गाडरी एवं श्री शंकरलाल गाडरी स्वयं उपस्थित होकर शपथ पत्र प्रस्तुत किये, जिनके द्वारा उक्त अंतिम वसीयत का श्री रामा गाडरी के उत्तराधिकारियों की उपस्थिति में निष्पादन किया जाना माना गया। उक्त शपथ पत्रों द्वारा गवाहान द्वारा श्री रामा गाडरी के अंतिम वसीयत में अंकित कथनों की साक्ष्य दी गई। न्यायालय हाजा समक्ष प्रस्तुत अपील की कार्यवाही में न्यायालय हाजा द्वारा श्री रामा गाडरी के सभी विधिक वारिसान पर विधिक प्रावधानोनुसार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 02/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/2) **श्री चतुरभुज गाडरी बनाम श्री रतनलाल गाडरी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तामिली की कार्यवाही निष्पादित की गई। दौराने बहस, प्रत्यर्थी-3 से 6, जो श्री रामा गाडरी के विधिक वारिसान है, की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा श्री रामा गाडरी की अंतिम वसीयत दिनांक 22.08.2019 निष्पादित किया जाना स्वीकार करते हुए अपील स्वीकार करने में अपनी अनापत्ति जाहिर की। इस न्यायालय समक्ष श्री रामा गाडरी की अंतिम वसीयत दिनांक 22.08.2019 के संबंध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। ऐसे में श्री रामा गाडरी द्वारा निष्पादित अंतिम वसीयत प्रभावी होकर उसके आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना आवश्यक है। विधिक रूप से अंतिम वसीयत ही प्रभावी मानी जावेगी, चाहे वह पंजीकृत हो या अंपजीकृत। क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा-17 के अनुसार वसीयत का पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है, यद्यपि उक्त अंतिम वसीयत श्री रामा गाडरी के देहावसान दिनांक 28.02.2020 उपरान्त वसीयतग्रहिता अपीलार्थीगण द्वारा उप पंजीयक, चित्तौड़गढ़ समक्ष पंजीकृत कराई गई जो रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 की धारा-40(1) के तहत अनुमत है। इसके अतिरिक्त राजस्व न्यायालय को नामान्तरकरण/इंतकाल की कार्यवाही में वसीयत की वैधता की जांच करने का अधिकार प्राप्त नहीं है बल्कि अंतिम वसीयत को ही प्रभावी मानकर उसी के तहत वसीयतग्रहिता के नाम नामान्तरकरण/इंतकाल दर्ज किया जाना चाहिए।

आरबीजे 2006 पेज 133 में सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि

RAJASTHAN LAND REVENUE ACT, 1956- Section 135 – It is not open for revenue to examine the validity of Will in mutation procedings.

Para.5 – That is not open for the revenue court to examine the validity of a Will. The scope before the revenue court is very limited, it is only supposed to examine whether the Will was made or not and only a preliminary scrutiny can be made to understand the Will properly. Tehsildar was right in putting reliance on a later Will, although it was an unregistered one. It is not necessary that the Will is registered and when it is not necessary that a Will is registered, an unregistered Will, will have equal force in law. **Since the deceased Mathura Lal made a second Will, earlier Will would no more remain in force**. Hence, the order of learned Additional Divisional Commissioner is erroneous in going into the validity of the Will at his own level. It would be appropriate to refer to a judgement of Hon'ble Supreme Court passed in Bhagat Ram vs. Suresh as reported in AIR 2004 SC Page 437. The relevant part is being reproduced as under as quoted by the said AIR.

Head Note-(D) – Registration Act (16 of 1908) Section 58 – Succession Act (39 of 1925) S.63 Evidence Act (1 of 1872), Ss 68, 114 – Registation of documents as codicil or Will – Does not dispense with need of proving execution and attestation of codicil/Will as per Evidence Act – Endorsement made by Registrar is not relevant for registration purpose only.

अतः उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्यों, कानूनी प्रावधानों एवं न्यायिक दृष्टांतों को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार, निम्बाहेडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.02.2022 निरस्त किया जाता है और श्री रामा गाडरी की अंतिम वसीयत दिनांक 22.08.2019 के आधार पर श्री चतुरभुज गाडरी के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार, निम्बाहेडा को पालनार्थ प्रेषित की जावें। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(अंजलि राजोरिया)
I.A.S.
अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर